फॉर्म अ

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव(छ0ग0)के न्यायालय में मामला क्रमांक 31 वर्ष 2016–17

विषय :– धारा 240,241 छ0ग0भू–राजस्व संहिता अंतर्गत आवेदन पत्र मामले की श्रेणी अ/63

ग्राम का नाम नेतामटोला बन्दोबस्त क्रमांक....पटवारी हल्का क्रमांक 17 तहसील अम्बागढ चौकी

कलेक्टर का क्रमांक.........................सन् 20 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक.............सन् 20

तहसीलदार का क्रमांक......01.........सन् 20 16-17 नायब तहसीलदार का क्रमांक ....सन्20

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
	E court case NO 201701091400024	
09/01/17	आवेदकगण केशव राम व हेमेन्द्र कुमार पिता मुरहाराम मानकर पिता देहार जाति हल्बा निवासी नगर पंचायत अम्बागढ चौकी, वार्ड नं. 15, अम्बागढ चौकी तहसील अम्बागढ चौकी जिला राजनांदगांव द्वारा ग्राम नेतामटोला प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. व तहसील अम्बागढ चौकी जिला राजनांदगांव में स्थित संयुक्त खाते की कृषि भूमि खसरा नं. 3/7 रकबा 1.618 हे. में स्थित अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट 09 वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय बी–1, खसरा एवं नक्शा की प्रतिलिपि के प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज हो । अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मोहला को निम्न बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा जावे । 1. निर्धारित प्रपत्र अ में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्राप्त कर एक प्रति संबंधित वनमंडलाधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए एक प्रति प्रकरण में संलग्न किया जावे । 2. भूमि सीमांकन कार्यवाही के दौरान संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (वन) के साथ स्थल निरीक्षण कर, संयुक्त स्थल निरीक्षण टीप/पंचनामा आदि तैयार किया जावे, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर की ओर विशेष ध्यान दिया जावे:– अ. आवेदित भूमि पर स्थित वृक्ष, वन विभाग की भूमि से कितनी दूरी पर स्थित है। ब. क्या आवेदक की भूमि के अत्यंत समीप से पी.एफ.लाईन लगी हुई है।	

स. यदि पी.एफ. लाईन दूर से गई हो तो उसकी दूरी बतायें ।

द. क्या प्रस्तावित वृक्ष काटने की अनुमति दिये जाने पर वन विभाग की भूमि से अवैध कटाई की संभावना है।

उक्त बिन्दुओं पर सीमांकन प्रतिवेदन,फील्ड बुक आदि तैयार कर अभिप्रमाणित करते हुए तीन–तीन प्रतियों में संलग्न किया जावें।

3. आवेदक से नियमानुसार सीमांकन हेतु शुल्क जमा कराने के पश्चात् ही उक्त कार्य हेतु भूमि का सीमांकन किया जावे।
4. अनुमति चाही गई वृक्षों की सूची भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के अंतर्गत् वर्णित वृक्षों की सूची नियम 06 एवं धारा 241 के अंतर्गत तीन–तीन प्रतियों में अभिप्रमाणित कर संलग्न किया जावे।
5. आवेदित भूमि यदि संयुक्त खाते की भूमि हो तो सहखातेदारों से सहमति पत्र प्राप्त कर प्रकरण पर संलग्न किया जावे। सहखातेदारों एवं गवाहों के बयान भी दर्ज किया जावे।
6. आवेदक एवं सहखातेदारों से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि, वे वृक्षों के कटाई की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें वन विभाग को ही विक्रय करेंगे। शपथ पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कराया जावे, कि वृक्षों की कटाई के मामले में ठेकेदारों को लकड़ी की बिक्री नहीं करेंगे।
7. आवेदक द्वारा भूमि कब क्रय किया गया था, विक्रय पत्र पर वृक्षों का उल्लेख किया गया है, अथवा नहीं ? यदि नहीं किया गया है, तो इस संबंध में जिला पंजीयक से सत्यापित कराया जावें।
8. छ0ग0 आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 एवं छ0ग0 आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2000 में निहित प्रावधानों का भी विशेष ध्यान रखते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
9. आवेदित वृक्षों का अनुमानित मूल्यों का वृक्षवार मूल्यांकन वन विभाग से कराया जाकर, जानकारी प्रकरण में संलग्न किया जावें।
10. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एव 241 में निहित प्रावधान के तहत विस्तृत जॉच प्रतिवेदन सहित बी–1, खसरा, फील्ड बुक, सीमांकन प्रतिवेदन, काटे जाने वाले वृक्षों की सूची तीन–तीन प्रतियों में तैयार करते हुए अभिप्रमाणित कर भेजी जावे।

अनु0अधि0(रा.)मोहला

अपर कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव

XX - (a) - A - 89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक 31 अ-63 वर्ष 2016-2017

(1)	(2)	(3)
18/1/2017	प्रकरण आज अपर कलेक्टर मोहला, राजनांदगांव से वापस प्राप्त। अपर कलेक्टर मोहला राजनांदगांव के आदेश पारित दिनांक 09-01-2017 के अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार की चौकी को भेजा जावे तहसीलदार विधिवत कार्यवाही करते हुए समयावधि के भीतर प्रतिवेदन प्रेषित करें। Rituraj 18/1/17 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मोहला, (छ.ग.)	
24/1/17	~~प्रकरण, श्रीमान अतिरिक्त महोदय के अनुविभागीय अधिकारी मोहला को डिमांड के आवश्यक कार्यवाही हेतु~~	

(2)

(1)	(2)	(3)
	प्राप्त आवेदक आहूत हो हल्का पटवारी एवं वनविभाग से जांच स्थल जांच प्रतिवेदन हेतु [signature] पा.हि 10/1/17	
10/2/17	उभयपक्ष पेश। प्रतिवेदन का पालन हो [signature] पा.हि 24/2/17	
24/2/17	उभयपक्ष पेश। प्रतिवेदन का पालन हो [signature] पा.हि 29/3/17 31/5/17	

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-48-9/2016- 1,00,000.

XX - (a) - A - 89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

(1)	(2)	(3)
21/4/17	प्रकरण पेश। प्रतिवेदन आ प्राप्त हो। पेशी 18/5/17 [signature]	
18/5/17	प्रकरण पेश। प्रतिवेदन अप्राप्त हो। पेशी 12/6/17 [signature]	
12-6-17	प्रकरण पेश। आवेदक अनुपस्थित। 1. आवेदक आहूत हो। 2. आवेदक से प्रपत्र क्र. में आवेदन लिया जावे। 3. ह. प. से बिन्दुवार प्रतिवेदन लिया जावे। 4. सहखातेदार आहूत हो। [signature] पे. दि. 22-6-17	

(1)	(2)	(3)
27/6/17	प्रकरण पेश। प्रतिवेदन का पालन हो। आहू. 17/7/17	
17-7-17	प्रकरण पेश। 1. आवेदक आहूत हो। 2. ह.प. से बिन्दुवार प्रतिवेदन बाबत ज्ञापन जारी किया जावे। 3. सहायक/पटवारी आहूत हो। पे.दि. 14-8-17	नो. जारी
14/08/17	प्रकरण पेश। आवेदक उपस्थित। आवेदक का शपथपूर्वक कथन अंकित किया गया। प्रकरण में प्रपत्र के संलग्न। आवेदक द्वारा सीमांकन शुल्क का चालान पेश संलग्न। 1. वन परिक्षेत्र अधिकारी अं. चौकी को संयुक्त स्थल निरीक्षण बाबत ज्ञापन जारी कर लिया जावे। 2. रा.नि. से विस्तृत जांच प्रतिवेदन सीमांकन फील्ड बुक प्रतिवेदन लिया जावे। पे.दि. [illegible]/8/17	Keshav Mankar जारी

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव--48-9-2016-1,00,000.

XX - (a) - A - 89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

(1)	(2)	(3)
7/9/17	प्रकरण पेश। आवेदक अनुपस्थित। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त प्रतीक्षा करें। पे.ति. 23.9.17 [signature]	
23.9.17	प्रकरण पेश। संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रतीक्षा करें। पे.ति. 13.10.17 [signature]	

XX - (a) - A - 89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

(1)	(2)	(3)
7/9/17	प्रकरण पेश। आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा दस्तावेज पेश प्रकरण में प्रकरण के संलग्न। वन परिक्षेत्र अधिकारी [illegible] से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः स्मरण जारी कर लिया जावे। पेशी 23.9.17	Keshav Mankar Hemendra Mankar Date - 7-9-2017 जारी
23.9.17	प्रकरण पेश। संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रतीक्षा करें। पेशी 10.10.17	Hemendra Mankar Date - 23-09-2017
10.10.17	प्रकरण पेश। आवेदक अनुपस्थित। संयुक्त स्थल निरीक्षण अप्राप्त। पुनः स्मरण जारी करें। पेशी 7.11.17	

(1)	(2)	(3)
7.11.17	प्रकरण पेश। संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः स्मरण जारी कर लिया जावे। पे.दि. 21.11.17	
21.11.17	प्रकरण पेश। संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रतीक्षा करें। पे.दि. 28.11.17	
28.11.17	प्रकरण पेश। संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त। स्मरण पत्र जारी करें। पे.दि. 12.12.17	
12.12.17	प्रकरण पेश। ~~उप~~ उप वन मंडलाधिकारी से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन अप्राप्त स्मरण पत्र जारी हो। पे.दि. ~~[illegible]~~.12.17 14	

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव- 41-10/2015-1,00,000.

XX - (a) - A - 89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

(1)	(2)	(3)
14.12.17	प्रकरण पेश। उपखंडअधिकारी से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रकरण के पृथक से संलग्न प्रकरण प्रतिवेदनार्थ।	

19/12/17 प्रकरण प्रतिवेदनार्थ रखा गया।

– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि केशवराम हेमेन्द्र कुमार पिता मुरहाराम जाति हल्बा निवासी अं.चौकी द्वारा ग्राम नेतामटोला पटवारी हल्का नं0 30 राजस्व निरीक्षक **मण्डल / तहसील** अं0चौकी अपने भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं0 3/7 रकबा 1.618 हैक्टयऱ जमीन पर स्थित 9 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय,राजनांदगांव के समक्ष आवेदन पेश किये जाने पर संहिता की धारा 240, 241 के तहत जांच कर प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त ।

– प्रकरण पंजीबद्व कर आवेदकगण को आहूत किया गया । आवेदकगण केशवराम एवं हेमेन्द्रकुमार द्वारा शपथपूर्वक कथन अंकित कर बताया गया कि शामिलात खाते की भूमि खसरा नं. 3/7 रकबा 1.618 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिस पर 9 नग सागौन वृक्ष स्थित है। जिसे काटने की अनुमति चाहता हूं इसका कारण बैक से लोन लेना, बाहर से लोन लेना तथा पढाई हेतु बैक से लोन लिया जिसकी अदायगी के लिये शासन के पक्ष में वृक्ष कटाकर बचेना चाहता हूं।

– वृक्षों का वन विभाग एंव राजस्व निरीक्षक से संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट लिया गया निरीक्षण प्रतिवेदन कंडिकावार निम्नानुसार है:– ।

(क) कोई वृक्ष किसी जल धारा झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मी0 के अन्दर स्थित नही है।

(ख) कोई वृक्ष किसी संस्था अथवा बैलगाडी के रास्ते के बीच से 15 मी0 के अंदर एवं किसी पंगडंडी से 06 मी0 के अन्दर स्थित नही है।

(ग) कोई वृक्ष किसी पवित्र स्थान से 30 मी0 के क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में स्थित नही है।

(ध) कोई वृक्ष महोत्सव कार्यक्रम पर उसके सामान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षो की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में स्थित नही है।

(ङ) कोई वृक्ष पड़ाव, कग्रस्तान, अथवा ष्मसान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र में नही है।

(1) कोई वृक्ष पहाड़ी क्षेत्र से 25 डिग्री से ल्यादा ढलान वाले क्षेत्र में नही है।

(2) आवेदक की भूमि जिस पर आंधी तूफान से गिरे वृक्ष वन विभाग की भूमि से लगभग 1.00 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

(3) आवेदक का परीक्षण आदिम जनजातियो का संरक्षण नियम 1999–2000 के तहत कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन संलग्न किया

जावे।

(4) काटे जाने वाले वृक्ष इमारती है तो फोटोग्राफ्स संलग्न किया जावे। फोटो ग्राफ्स संलग्न है।

(5) आवेदक की भूमि से अत्यंत समीप से पी.एफ. लाईन से नही लगी हुई है।

(6) आवेदक की भूमि से लगभग 1.00 कि.मी. दूर है।

(7) उक्त आंधी तूफान से गिरे सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति दिये जाने पर वन विभाग की भूमि से अवैध कटाई की संभावना नही है।

वृक्षो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई	उचाई	रिमार्क
1.	सागौन	116 से.मी.	8 मीटर	काटने अयोग्य है।
2.	सागौन	120 से.मी.	9 मी0	काटने योग्य है।
3	सागौन	122 से.मी.	10मी0	काटने योग्य है।
4.	सागौन	160 से.मी.	16 मी0	काटने योग्य है।
5.	सागौन	110 से.मी.	15 मी0	काटने अयोग्य है।
6	सागौन	140 से.मी.	8 मी0	काटने योग्य है।
7	सागौन	138 से.मी.	10 मी0	काटने योग्य है।
8	सागौन	124 सेमी.	6 मी0	काटने योग्य है।
9	सागौन	122 से.मी.	8 मी0	काटने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आवेदक द्वारा 09 सागौन वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार वृक्ष काटे जाने से संहिता की धारा 240,241 की उल्लंघन नहींहोगा

अतएंव आवेदकगण श्री केशवराम एवं हेमेन्द्रकुमार आ. मुरहाराम हल्बा निवासी अं.चौकी के ग्राम नेतामटोला. को उनके स्वामित्व की भूमि खसरा 3/7 रकबा 1.618 हेक्टर पर स्थित 09 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण उचित आदेशार्थ श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,मोहला के मध्यम से कलेक्टर महोदय,राजनांदगांव की ओर सादर संम्प्रेषित ।

नायब तहसीलदार
अं.चौकी